भारत सरकार

रेल मंत्रालय

लोक सभा

11.03.2026 के

तारांकित प्रश्न सं. 269 का उत्तर

केरल के रेलवे स्टेशनों से राजस्व संग्रहण

***269. श्री के. राधाकृष्णन:**

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान केरल के सभी रेलवे स्टेशनों से संगृहीत किए गए कुल राजस्व का वर्ष-वार और स्टेशन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान केरल में रेलवे अवसंरचना और विकास परियोजनाओं के लिए सरकार द्वारा किए गए कुल व्यय/आवंटित धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केरल से संगृहीत किए गए राजस्व और राज्य में रेलवे के विकास में पुन: निवेश की गई राशि का अनुपात क्या है और क्या ऐसा निवेश सृजित राजस्व के समानुपात में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में रेलवे परियोजनाओं के लिए धनराशि का आवंटन निर्धारित करने हेतु सरकार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानदंडों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या केरल को धनराशि का आवंटन करने का निर्णय लेते समय राज्य से प्राप्त राजस्व के योगदान को भी ध्यान में रखा गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (ङ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

दिनांक 11.03.2026 को लोक सभा के तारांकित प्रश्न सं. 269 के भाग (क) से (ङ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (ङ): रेलवे राजस्व/आमदनी के ब्यौरे क्षेत्र-वार रखे जाते हैं, न कि राज्य-वार। केरल दक्षिण रेलवे के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दक्षिण रेलवे द्वारा पिछले पाँच वर्षों में अर्जित राजस्व और किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष	आमदनी	कुल व्यय
2020-21 (कोविड वर्ष)	4,043	14,821
2021-22 (कोविड वर्ष)	7,094	21,423
2022-23	9,967	22,873
2023-24	11,286	26,505
2024-25	11,628	29,225

<u>बजट आबंटन</u>:

पिछले कुछ वर्षों में केरल में बजट आबंटन में काफी बढ़ोतरी हुई है। केरल राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना संबंधी परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों के लिए बजट आबंटन निम्नानुसार है :-

अवधि	परिव्यय
2009-14	372 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष
2025-26	3,042 करोड़ रुपए (8 गुना से अधिक)
2026-27	3,795 करोड़ रुपए (10 गुना से अधिक)

<u>चालू परियोजनाएं</u>:

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, केरल में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 266 किलोमीटर लंबी और 9,415 करोड़ रुपए की लागत वाली 06 परियोजनाएँ (02 नई लाइन और 04 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं। सारांश निम्नानुसार है:-

कोटि	परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई	कमीशन की गई लंबाई	शेष लंबाई जिसे पूरा किया जाना है	मार्च, 2025 तक किया गया व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	02	146 कि.मी.	0 कि.मी.	146 कि.मी.	309
दोहरीकरण/ बहुपथन	04	120 कि.मी.	26 कि.मी.	94 कि.मी.	2,941
कुल	06	266 कि.मी.	26 कि.मी.	240 कि.मी.	3,250

<u>हाल ही में पूरी की गई परियोजनाएं</u>:

केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली हाल ही में पूरी की गई कुछ परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	दिंडुक्कल-पोल्लाच्चि-पालघाट और पोल्लाच्चि-कोयम्बतूर आमान परिवर्तन (217 किलोमीटर)	1,360
2.	कोल्लम-तिरुनेलवेली-तिरूच्चेंदूर आमान परिवर्तन (357 किलोमीटर)	1,122
3.	मुलंतुरुत्ती-कुरूप्पनत्तरा दोहरीकरण (24 किलोमीटर)	303
4.	चेंगन्नूर-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर)	436
5.	अम्बलप्पुषा-हरिप्पाड दोहरीकरण (18 किलोमीटर)	346
6.	कुरूप्पनतरा-चिंगवनम दोहरीकरण (27 किलोमीटर)	749

<u>परियोजनाएं</u>:

केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली कुछ अन्य परियोजनाएं जिन्हें शुरू किया गया है, निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1.	तिरुन्नावाया-गुरुवायूर नई लाइन (35 कि.मी.)	138
2.	अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन (111 कि.मी.)	3,801
3.	एरणाकुलम-कुम्बलम दोहरीकरण (8 कि.मी.)	595
4.	कुम्बलम-तुरवूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 कि.मी.)	803
5.	तिरुवनंतपुरम-कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 कि.मी.)	3,786
6.	षोरणूर-वल्लत्तोल दोहरीकरण (10 कि.मी.)	367
7.	पालक्कड़ टाउन-परली बाइपास लाइन (2 कि.मी.)	164
8.	अलप्पुझा- अंबालापुझा दोहरीकरण (13 कि.मी.)	324
9.	तुरावुर-माररिकुलम दोहरीकरण (21 कि.मी.)	451

<u>भूमि अधिग्रहण की स्थिति</u>:

केरल राज्य में पूर्णत:/अंशत: पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। केरल राज्य में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

केरल में परियोजनाओं के लिए अपेक्षित कुल भूमि	476 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	65 हेक्टेयर (14%)
अधिग्रहण के लिए शेष भूमि	411 हेक्टेयर (86%)

रेलवे ने केरल सरकार के पास भूमि अधिग्रहण के लिए 1,975 करोड़ रुपए जमा किए हैं। भूमि अधिग्रहण कार्यों में तेजी लाने के लिए केरल सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	अपेक्षित कुल भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत किए जाने हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	अंगमालि-सबरीमाला नई लाइन (111 किलोमीटर)	416	24	392
2.	एरणाकुलम-कुम्बलम कहीं-कहीं दोहरीकरण (8 किलोमीटर)	4	3	1
3.	कुम्बलम-तुरवूर कहीं-कहीं दोहरीकरण (16 किलोमीटर)	10	9	1
4.	षोरणूर-वल्लत्तोल दोहरीकरण (10 किलोमीटर)	5	0	5

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए पूरी तरह तैयार है, बहरहाल इसकी सफलता केरल सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

<u>ऊपरी सड़क पुल (आरओबी)/ निचले सड़क पुल (आरयूबी)</u>:

दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार, केरल राज्य में 4,835 करोड़ रुपए की लागत से रेलपथ पर 138 ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी)/निचले सड़क पुलों के कार्यों को मंज़ूर किया गया है, जो योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

राज्य सरकार के कारण कुल 106 अदद ऊपरी सड़क पुलों (आरओबी)/निचले सड़क पुलों के कार्यों में विलंब हो रहा है। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	कारण	ऊपरी/निचले सड़क पुल (संख्या में)
1.	राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण में विलंब	38
2.	राज्य सरकार द्वारा संरेखण को अंतिम रूप दिया जाना	63
3.	कानून एवं व्यवस्था/सार्वजनिक विरोध/न्यायिक मामले आदि	2
4.	एजेंसी अभी तय की जानी है	3

ऊपरी सड़क पुलों/ निचले सड़क पुलों के कार्यों का समापन और कमीशनिंग विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है जैसे समपार बंद करने की सहमति प्रदान करने में राज्य सरकार से सहयोग, पहुँच मार्ग संरेखण का निर्धारण, सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) की मंजूरी, भूमि अधिग्रहण, अतिक्रमण हटाना, जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ, जलवायु संबंधी परिस्थितियों के कारण विशिष्ट परियोजना क्षेत्र में वर्ष में कार्यावधि आदि। ये सभी कारक परियोजनाओं/कार्यों के समापन समय को प्रभावित करते हैं।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों की प्रगति में तेज़ी लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

i. सामान्य व्यवस्था आरेख (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है ताकि सुगम निष्पादन सुनिश्चित किया जा सके।

ii. रेलवे और राज्य सरकार के अधिकारियों की समय-समय पर बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि ऊपरी सड़क पुल/ निचले सड़क पुलों के कार्यों से संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान किया जा सके।

iii. रेलवे के भाग पर सड़क की चौड़ाई, स्पैन और विषम तल के विभिन्न संयोजनों के लिए अधिसंरचना आरेखों का मानकीकरण किया गया है ताकि डिजाइन के अनुमोदन के दौरान विलंब से बचा जा सके। इसे एक संकलन के रूप में जारी किया गया है, जिसे रेलवे लाइनों पर ऊपरी सड़क पुल के लिए त्वरित योजना हेतु सीधे अपनाया जा सकता है।

ऊपरी/निचले सड़क पुलों के कार्यों की राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति:

2004-14 की तुलना में 2014-25 (जनवरी 2026) की अवधि के दौरान भारतीय रेल पर निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित किए गए ऊपरी/निचले सड़क पुल
2004-14	4,148 अदद
2014-25 (जनवरी 2026)	14,024 अदद (केरल राज्य में 121 अदद सहित)

अमृत भारत स्टेशन:

इस योजना में रेलवे स्टेशनों को बेहतर बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और उनका चरणों में कार्यान्वयन करना शामिल हैं। मास्टर प्लान बनाने में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. रेलवे स्टेशन और परिचलन क्षेत्रों तक पहुँच में सुधार
ii. रेलवे स्टेशन का शहर के दोनों तरफ के साथ एकीकरण
iii. रेलवे स्टेशन इमारत में सुधार
iv. प्रतीक्षालय, शौचालय, बैठने की व्यवस्था, वाटर-बूथों में सुधार
v. यात्री यातायात के अनुरूप चौड़े ऊपरी पैदल पार पुल/एयर कॉन्कोर्स की व्यवस्था
vi. लिफ्ट/एस्केलेटर/रैम्प की व्यवस्था
vii. प्लेटफ़ॉर्म की सतह में सुधार/निर्माण और प्लेटफ़ॉर्म पर कवर की व्यवस्था
viii. 'एक स्टेशन एक उत्पाद' जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय उत्पादों के लिए कियोस्क की व्यवस्था
ix. पार्किंग क्षेत्र, यातायात के विभिन्न साधनों का एकीकरण
x. दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएँ
xi. बेहतर यात्री सूचना प्रणाली

xii. प्रत्येक रेलवे स्टेशन पर आवश्यकता को देखते हुए एक्ज़ीक्यूटिव लाउंज, व्यावसायिक बैठकों के लिए निर्दिष्ट स्थान, भूसुदर्शनीकरण आदि की व्यवस्था।

इस योजना में आवश्यकता, चरणबद्धता एवं व्यवहार्यता के अनुसार दीर्घकालिक और पर्यावरण अनुकूल समाधान; गिट्टी रहित पटरियों की व्यवस्था आदि और दीर्घावधि में रेलवे स्टेशन पर सिटी सेन्टरों के निर्माण की परिकल्पना भी की गई है।

अभी तक, अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकास के लिए 1337 रेलवे स्टेशनों को चिह्नित किया गया है जिनमें से 35 स्टेशन केरल राज्य में हैं। केरल राज्य में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत विकास हेतु चिह्नित किए गए स्टेशनों के नाम इस प्रकार हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
केरल	35	अलपुझा, अंगादिपुरम, कलाडी के लिए अंगमाली, चालकुडी, चेंगनास्सेरी, चेंगन्नूर, चिरायिंकीझ, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम टाउन, एट्टूमनूर, फेरोक, गुरुवायूर, कन्नूर, कासरगोड, कायमकुलम जंक्शन, कोल्लम जंक्शन, कोझीकोड, कुट्टिपुरम, मवेलीकारा, नेय्याट्टिनकारा, नीलांबुर रोड, ओट्टापलम, परप्पनंगडी, पय्यानूर, पुनालुर, शोरानूर जंक्शन, थालास्सेरी, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, त्रिशूर, तिरुर, तिरुवल्ला, त्रिपुनिथुरा, वडकारा, वर्कला शिवगिरी, वडकांचेरी

<u>पूरे किए गए स्टेशन:</u>

केरल में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों पर विकास के कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं। अभी तक, निम्नलिखित 11 स्टेशनों के कार्य इस योजना के तहत पूरे किए जा चुके हैं:

राज्य	स्टेशनों की संख्या	स्टेशनों के नाम
केरल	11	कलाडी के लिए अंगामाली, चालकुडी, चेंगनास्सेरी, चिरायिनकीष, फेरोक, कुट्टीपुरम, नीलांबुर रोड, शोरानूर जंक्शन, त्रिपुनिथुरा, वडाकारा, वडकांचेरी

अन्य स्टेशनों पर भी विकास कार्य तीव्र गति से शुरू किए गए हैं और कुछ स्टेशनों के कार्यों की प्रगति निम्नानुसार है:

i. अंगादिपुरम स्टेशन: प्रथम प्रवेश द्वार में प्रांगण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म संख्या 1 और 2 की प्लेटफॉर्म सतह का कार्य, कॉनकोर्स, बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, शौचालय, परिचलन क्षेत्र में सुधार, प्रथम प्रवेश द्वार की पार्किंग और पहुंच मार्ग, कोच संकेतन बोर्ड, गाड़ी संकेतन बोर्ड और संकेतकों का कार्य पूरा किया जा चुका है। दिव्यांगजनों हेतु सुविधाएं, लिफ्ट और 6 मीटर ऊपरी पैदल पुल का कार्य शुरू किया गया है।

ii. गुरुवायूर स्टेशन: प्लेटफॉर्म शेल्टर, कॉनकोर्स, परिचलन क्षेत्र और पार्किंग में सुधार का कार्य पूरा किया जा चुका है। स्टेशन भवन, प्रवेश द्वार का मेहराब, बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, नया विश्राम कक्ष, दिव्यांगजनों हेतु सुविधाएं और ऊपरी पैदल पुल में सुधार का कार्य शुरू किया गया है।

iii. परप्पनंगडी स्टेशन: प्रांगण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म सतह का कार्य, कॉनकोर्स में सुधार कार्य, बुकिंग कार्यालय, प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर प्रतीक्षा क्षेत्र, शौचालय, प्रथम प्रवेश पर परिचलन क्षेत्र, द्वितीय प्रवेश द्वार पर पार्किंग, लिफ्ट, कोच संकेतन बोर्ड और गाड़ी संकेतन बोर्ड का कार्य पूरा किया गया है। दिव्यांगजनों हेतु सुविधाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है।

iv. पय्यानूर स्टेशन : प्रांगण, प्लेटफॉर्म शेल्टर, प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 की ऊंचाई बढ़ाने, कॉनकोर्स, बुकिंग कार्यालय, प्रतीक्षालय, द्वितीय प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र, पार्किंग, कोच संकेतन बोर्ड और गाड़ी संकेतन बोर्ड को बेहतर बनाने का कार्य शुरू किया गया है। स्टेशन भवन, प्रथम प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र, दिव्यांगजनों के लिए सुविधाएं, लिफ्ट और 6 मीटर ऊपरी पैदल पुल में सुधार कार्य शुरू किए गए हैं।

v. तिरूर स्टेशन : स्टेशन भवन में सुधार, प्रथम प्रवेश द्वार पर प्रांगण, कॉनकोर्स, प्लेटफॉर्म संख्या 1 की ऊंचाई बढ़ाना और प्लेटफॉर्म सतह का कार्य, प्लेटफॉर्म शेल्टर, बुकिंग कार्यालय, शौचालय, विश्राम कक्ष में सुधार कार्य, प्रथम प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र में सुधार कार्य, द्वितीय प्रवेश द्वार पर पार्किंग, लिफ्ट, संकेतक, ऊपरी पैदल पुल में सुधार कार्य, कोच संकेतन बोर्ड, गाड़ी संकेतन बोर्ड, द्वितीय प्रवेश द्वार पर लिफ्ट और एस्केलेटर का कार्य पूरा किया जा चुका है। द्वितीय प्रवेश द्वार पर परिचलन क्षेत्र, प्रथम प्रवेश द्वार पर पार्किंग और दिव्यांगजन सुविधाओं का कार्य शुरू कर दिया गया है।

इसके अलावा, भारतीय रेल में रेलवे स्टेशनों का विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इस संबंध में कार्य सापेक्ष प्राथमिकता और धन की उपलब्धता के अध्यधीन आवश्यकता के अनुसार शुरू किए जाते हैं। रेलवे स्टेशनों के विकास/पुनर्विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण कार्यों को स्टेशन की कोटि/अवस्था/यातायात की सम्हलाई आदि के आधार पर क्रियान्वित किया जाता है।

किसी भी रेल परियोजना की मंजूरी कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. **प्रत्याशित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता**
ii. **परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता**
iii. **अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना**
iv. **संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार**
v. **राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाई गईं मांगें**
vi. **रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ**

vii. सामाजिक-आर्थिक महत्व

viii. निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण

ii. वन संबंधी स्वीकृति

iii. अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण

iv. विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ

v. क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ

vi. परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति

vii. परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के समापन समय और लागत को प्रभावित करते हैं।

*****